औरत का जनाज़ा

JANABE GHAZAL

PUBLISHED BY
SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

औरत का जनाज़ा

JANABE GHAZAL

PUBLISHED BY
SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

Contents

औरत के जनाज़े को कांधा देने पर तफ्सीली बहस

औरत के जनाज़े को कांधा देने, चेहरा देखने या गुस्ल देने वग़ैरह को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और इसे यूँ कहा जाये कि कई तरह की गलत फहमियाँ मौजूद हैं तो बिल्कुल सहीह होगा जैसा कि आप इस तफ़सील में मुलाहिज़ा फरमायेंगे।

बीवी के जनाज़े को शौहर का कांधा देना।

(पहला हवाला)

बहरुल उलूम, हज़रते अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहमतुल्लाही त'आला अलैह से सवाल किया गया :

सवाल : बाज़ लोग कहते हैं कि औरत को इसका शौहर कांधा नहीं दे सकता है, क्या ये मस'अला सहीह है साफ़ साफ़ जवाब दें?

आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह जवाब में लिखते हैं कि औरत के जनाज़े को शौहर ज़रूर कांधा दे सकता है।

(فتاوی بحر العلوم، ج2, ص10)

(दूसरा हवाला)

इसी तरह एक और जगह आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह से सवाल किया गया कि शौहर कांधा दे सकता है या नहीं ?

आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह ने जवाब में फरमाया कि शौहर कांधा दे सकता है।

(فتاوی بحر العلوم، ج5, ص361)

(तीसरा हवाला)

एक जगह इस तरह सवाल किया गया कि क्या शौहर अपनी बीवी को बादे वफात छू सकता है या नहीं? कांधा दे कर क़ब्रिस्तान ले जा सकता है या नहीं? और क्या वो अपनी बीवी को क़ब्र में उतार सकता है या नहीं?

आप जवाबन लिखते हैं कि औरत का इन्तिक़ाल हो जाये तो शौहर ना उसे नहला सकता है और ना छू सकता है, देखने की मुमानिअत नहीं है। (यानी देख सकता है)

(در مختار)

अवाम में जो ये मशहूर है कि शौहर औरत के जनाज़े को ना कांधा दे सकता है, ना क़ब्र में उतार सकता है और ना चेहरा देख सकता है, ये गलत है।

सिर्फ़ नहलाने और उसके बदन को बिला हाइल हाथ लगाने की मुमानिअत है।

(فتاوی بحر العلوم، ج2، ص9)

(चौथा हवाला)

एक सवाल यूँ किया गया :

सवाल : ज़ौजा इन्तिक़ाल कर गयी तो शौहर उसे छू सकता है या नहीं? हुक्म से जल्द मुतल'अ फरमाये।

आप ने फरमाया कि औरत के इन्तिक़ाल के बाद मर्द इसका जिस्म छू नहीं सकता है (जिस्म छूने की मुमानिअत है)

(فتاوی بحر العلوم، ج5، ص363)

(पाँचवा हवाला)

खलीफ़ा -ए- आला हज़रत, अल्लामा सय्यिद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह त'आला से सवाल किया गया कि ज़ैद अपनी ज़ौजा का जनाज़ा उठा कर गेहवारा और क़ब्र में रख सकता है या नहीं?

आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह लिखते हैं :

दुर्रे मुख्तार में है :

و يمنع الذوج من غسلها... الخ

(सफ़हा 633)

यानी शौहर को मना किया जाये अपनी बीवी को गुस्ल देने से और हाथ लगाने से ना कि अपनी बीवी को देखने से बादे मौत के बा रिवायते असह।

लिहाज़ा औला और अफ्ज़ल यही है कि क़ब्र में भी औरत को वही लोग उतारें जिन पर वो हराम थी यानी इस के रिश्तेदार ज़ी रहम महरम ना कि शौहर।

و ذوالرحم المحرم اولی بوضع المراۃ... الخ

(غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی، ص552)

यानी औला ये है कि औरत को ज़ी रहम महरम रिश्तेदार क़ब्र में रखें। अगर कोई ऐसा रिश्तेदार ना हो तो कोई अजनबी जो अहले सलाह हो जो ये काम सर अंजाम दें।

और जो मन्क़ूल है कि हज़रते अली करमल्लाहु त'आला वजहहुल करीम हज़रते खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रदिअल्लाहु त'आला अन्ह को गुस्ल दिया था, अव्वल तो इस पर इंकारे ए सहाबा मन्क़ूल है। अलावा बरीं ये अम्र मख्सूस है हज़रते अली करमल्लाहू त'आला वजह्हुल करीम के साथ बवजहे बाक़ी रहने इलाक़ाए ज़ौजियत के (यानी ये रिश्ता बाक़ी था इस लिये) दरमियान सय्यिदुना अली करमल्लाहु त'आला वजह्हुल करीम और हज़रते सय्यिदा रदिअल्लाहू त'आला अन्हा के क़यामत तक बखिलाफ दूसरे लोगों के,
अलावा हुज़ूर ﷺ और सय्यिदूना हज़रते अली करमल्लाहू त'आला वजह्हुल करीम और हज़रते सय्यिदा रदिअल्लाहू त'आला अन्हा के कि मरने के बाद ज़ौजा के सब का इलाक़ाए ज़ौजियत मुन्क़ता हो जाता है।

کما ھو ظاہر من روایۃ المنقولۃ فی الدر المختار فی صفحہ 633 حیث قال:

و قالت الائمۃ الثلاثۃ یجوز لأن علیا رضی اللہ عنہ غسل فاطمۃ... الخ

यानी हज़रते आइम्मा सलासा रहीमहुल्लाह त'आला ने फरमाया के खाविंद के लिये अपनी मुर्दा बीवी को गुस्ल देना जाइज़ है क्यूँ कि हज़रते सय्यिदुना अली मुर्तज़ा रदिअल्लाहो त'आला अन्हु ने हज़रते बीबी फातिमा ज़हरा रदिअल्लाहो त'आला अन्हा को गुस्ल दिया था हम जवाब में कहते हैं कि गुस्ल देने की ये रिवायत इन दोनों हज़रात के दरमियाने वफ़ाते हज़रते खातूने जन्नत रदिअल्लाहू त'आला अन्हा के बावजूद ज़ौजियत का ताल्लुक़ बाक़ी रहने के बाइस है।

हुज़ूर नबी -ए- करीम ﷺ ने फरमाया मौत के साथ हर ताल्लुक़ और नसब खत्म हो जाता है मेरा ताल्लुक़ और नसब बाक़ी रहता है, अलावा अज़ीं बाज़ सहाबा किराम रदिअल्लाहो त'आला अन्हा ने इस पर इनकार भी फरमाया था।

(شرح المجمع للعینی)

(فتاوی دیداریہ، ص205،206)

(छट्ठा हवाला)

अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद इस्माईल हुसैन नूरानी अलैहिर्रहमा से सवाल किया गया कि अगर किसी शख्स की अहलिया का इन्तिक़ाल हो जाए तो बाद अज़ विसाल उस शख्स का अपनी अहलिया के चेहरे को देखना तक्फीन और तदफ़ीन के वक़्त जाइज़ है या नहीं बहुत से लोगों का कहना है कि बीवी के मरते ही निकाह टूट जाता है सो बीवी का चेहरा नहीं देख सकते बराए करम क़ुरआन व सुन्नत की रौशनी में जवाब इनायत फरमायें।

आप लिखते हैं कि :

सूरते मसाइल का जवाब ये है कि औरत मर जाए तो शौहर ना तो उसे नहला सकता है ना छू सकता है लिहाज़ा देखना जाइज़ है।

और अल्लामा अलाउद्दीन हस्क़फी अलैहिर्रहमा लिखते हैं :
यानी शौहर का उस को नहलाना भी ममनूअ है और उसे छूना भी ममनूअ है और सहीह तरीन क़ौल के मुताबिक़ देखना ममनूअ नहीं है।

(درِ مختار ج1، ص575)

और मज़ीद लिखते है कि :

सदरुश्शरिया अल्लामा अमज़द अली आज़मी अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं कि "अवाम में ये मशहूर है कि शौहर औरत के जनाज़े को ना कांधा दे सकता है ना क़ब्र में उतार सकता है ना मुँह देख सकता है ये महज़

गलत है। ये सिर्फ़ नहलाने और बिला हाइल हाथ लगाने की मुमानिअत है।

(بہار شریعت، حصہ 4، ص89، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور)

इसी तरह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रदिअल्लाहु अन्हु ने भी यही लिखा है कि बीवी के मरने के बाद शौहर को देखने की इजाज़त है अलबत्ता हाथ लगाना मना है।

كما نص عليه فی اہلتنور والدر وغيره هما

والله ورسوله اعلم بالصواب

(انظر: انوار الفتاوی، ص292،293)

(सातवाँ हवाला)

अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमज़दी रहमतुल्लाह त'आला अलैह से सवाल किया गया की ज़ैद की औरत का इन्तिक़ाल हो गया अब ज़ैद चाहता है कि अपनी औरत के जनाज़े को कांधा दे लेकिन बकर ने उसे रोक दिया और कहा कि मैने उलमा ए किराम से सुना है कि शौहर अपनी बीवी को कांधा नहीं दे सकता लिहाज़ा बकर ने ज़ैद को रोक दिया। बक़र का ये कहना कहाँ तक दुरुस्त है? बकर साथ-साथ ये भी कह रहा था कि उलमा ए किराम से ये भी सुनता हूँ कि उस के लिये कांधा नही दे सकता कि औरत शौहर की जूती के बराबर है आज उसके जनाज़े को कैसे कांधा दे सकता है?

बकर के कहने के मुताबिक़ ये सवाल पैदा होता है कि बहारे शरीअत हिस्सा चहारुम सफ़हा नम्बर 141 पर मज़्कूर है कि हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने हज़रत साद बिन मआज़ रदिअल्लाहो त'आला अन्हो का जनाज़ा उठाया अगर मरातिब के लिहाज़ से कांधा नहीं दे सकता तो यहाँ क्या जवाब है कि कहाँ सरकार का मरतबा और कहाँ सहाबा -ए- किराम का मरतबा? तहरीर फरमायें

आप रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि :
बीवी के जनाज़े को कांधा देना बिला शुब्हा जाइज़ है। उस की मुमानि'अत साबित नहीं बकर उलमा ए किराम को झूट कहता और बदनाम करता है। और अगर ये सहीह है कि उलमा ए किराम ने मना किया तो बकर कहे कि उन उलमा की तहरीर लाये।

الله و رسوله اعلم بالصواب

(فتاوی فیض الرسول، ج1، 411)

(आठवाँ हवाला)

अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमज़दी रहमतुल्लाह त'आला अलैह से सवाल किया गया कि क्या फरमाते हैं मुफ्तियाने दीनो मिल्लत इस मसअले में कि मेरी वालिदा का इन्तिक़ाल हो गया मेरे वालिद ने उन के जनाज़े को कांधा देना चाहा तो एक शख्स ने ये कह कर रोक दिया कि आप कांधा नहीं लगा सकते इसीलिये की शौहर

को अपनी बीवी के जनाज़े को कांधा लगाना जाइज़ नहीं। वाक़ई शरीअत का ऐसा ही हुक़्म है?

आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह कहते हैं कि :
शरीअत का हुक़्म ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान किसी की बीवी के जनाज़े को कांधा लगायें मगर ये कि उस का शौहर कांधा ना लगाये ये हुक़्म कैसे हो सकता है। मस'अला तो ये है कि मौत के बाद शौहर अपनी बीवी के जिस्म को बिला हाइल हाथ नहीं लगा सकता मगर आवाम ने ये बना लिया कि शौहर अपनी बीवी के जनाज़े को कांधा नहीं लगा सकता। जिस शख्स ने ये गलत मस'अला बता कर आप के वालिद को आप की वालिदा के जनाज़े को कांधा नहीं लगाने दिया वो ऐलानिया तौबा करे और आइन्दा बिला तहक़ीक़ कोई मस'अला ना बताये।

واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فتاوی فقیہ ملت، ج1، ص255)

(नव्वा हवाला)

मलफ़ूज़ाते आला हज़रत में है :
अर्ज़ : हुज़ूर अगर औरत का इन्तिक़ाल हो जाये तो उस के शौहर को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं, ना वो कांधा दे ना मुँह देखे?
फरमाया : ये मस'अला जुहला में बहुत मशहूर है और बिल्कुल बे असल है। हाँ बे हाइल उस के जिस्म को बेशक़ हाथ नहीं लगा सकता। बाक़ी कांधा भी दे सकता है और क़ब्र में भी उतार सकता है और अगर मौत ऐसी जगह आयी जहाँ मियाँ बीवी के सिवा कोई और ना हो तो शौहर खुद अपने हाथो पर कपड़ा लपैट कर मय्यित को तयम्मूम कराये लेकिन औरत को बिला किसी शर्त के अपने शौहर मुर्दा को छूने की इजाज़त है।

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاۃ، مطلب فی حدیث کل... الخ، ج3، ص105)

(انظر: ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص285)

(दसवाँ हवाला)

फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह त'आला अलैह से सवाल किया गया कि अपनी बीवी की मय्यित का जनाज़ा शौहर ले जा सकता है कि नहीं? जवाब साफ़ी से मम्नून फरमाया जाये।

بینوا توجروا
(बयान फरमायें अज्र पाये)

आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह लिखते हैं :
मर्द अपनी जौज़ा का जनाज़ा उठा सकता है।

(فتاویٰ رضویہ، ج24، ص200)

(ग्यारहवाँ हवाला)

इसी तरह इरफ़ाने शरीअत में ये मस'अला मज़्कूर है कि क्या शौहर अपनी बीवी को गुस्ले मय्यित दे सकता है या नहीं और बाद मरने के शौहर अपनी बीवी के जनाज़े को हाथ लगा सकता है या नहीं?

जवाब : जनाज़े को हाथ लगा सकता है। क़ब्र में उतार सकता है। उस के बदन को हाथ नहीं लगा सकता इसी वास्ते गुस्ल नहीं दे सकता।

واللہ تعالیٰ اعلم۔
(عرفان شریعت)

(बारहवाँ हवाला)

अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वाजिद क़ादरी रहीमहुल्लाह से सवाल किया गया कि क्या फरमाते हैं मुफ्तियाने शरअ मतीन इस में कि मय्यित का दीदार मर्द व औरत में से कौन कौन कर सकते हैं? तफ़सील से बयान फरमा कर इन्दल्लाह माजूर हों।

आप रहमतुल्लाह त'आला लिखते हैं कि असल ये है कि जिस तरह मर्द का अजनबिय्या औरत को देखना भी जाइज़ नहीं है ऐसे ही औरत का अजनबी मर्दों को देखना भी जाइज़ नहीं है।

كمارواه اللترمذی واحمد ابوداؤد عن ام المومنین سیدتنا ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا

मुर्दा औरत के लिये उस का शौहर और मुर्दा मर्द के लिये उसकी बीवी भी अजनबी है।

"لانقطاع النکاح بالموت"

बईं हिमा शौहर अपनी मुर्दा बीवी को देख सकता है और बीवी अपने मुर्दा शौहर को देख या छू सकती है बल्कि गुस्ल भी दे सकती है।

كمافی الدرالمختار والمتمدات الاسفار:
و یمنع زوجہا من غسلہاو مسہالامن النظر الیہا علی الاصح وھی لا تمنع من ذالک

शौहर को मना कर दिया जायेगा बीवी को गुस्ल देने और छूने से अलबत्ता उसको देखने की इजाज़त होगी। सहीह क़ौल की बिना पर और बीवियो को गुस्ल देने और छूने की इजाज़त होगी।

और मौत से जिस तरह निकाह मुन्क़ता होता है उसी तरह रिश्ता व नसब भी।

كما فی الحدیث شریف

वो लोग दीदार कर सकते हैं जिन से जिंदगी में पर्दा करना दुरुस्त नही था मसलन बाप, दादा, नाना, भाई, भतीजा, भान्जा, चाचा, मामू, बेटा, पोता और नवासा वग़ैरह और जिन लोगो से पर्दा करना हयात में वाजिब था उन्हें चाहिये कि मय्यित का दीदार कर के उसे अज़िय्यत ना पहुँचायें कि जिन बातो से जिंदगी में अज़िय्यत पहुँचती है उन से बादे मौत भी अज़िय्यत पहुँचती है और वो लोग ये हैं : कुफ्फार व मुशरिकीन बद मज़हब व मुर्तदीन, चाचा, मामू, खाला और फूफी के बेटे, बहनोई, देवर, जेठ और जवान दामाद वगैराहुम। महर्रमात की तफ़सील कुतुबे फिक़्ह से हासिल करें कि उसे यहा नक़्ल करना तवालात का सबब है। और वो अजनबीय्या औरतें जो मर्द से उस की जिंदगी में पर्दा करती थी या पर्दा करना उन पर वाजिब ऐसे मुर्दा मर्द का दीदार अजनबीय्या औरतें ना करें कि उस से मुर्दे को अज़िय्यत होती है।

हज़रत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह
दुर्रे मुख्तार के हाशिया रद्दूल मुह्तार में फरमाते हैं :

لان المیت یتاذی بما یتاذی بہ الحی

जिस से जिन्दो को तकलीफ़ होती है उस से मुर्दे भी इज़ाह पाते हैं, मुख्तसर ये कि औरतों के हक़ में बेहतर ये है कि ना मेहरम उस का दीदार ना करें और मर्दो के लिये बेहतर ये है कि अजनबीय्या औरतें उसे ना देखें। और दोनो के हक़ में बहतर ये है कि रूनुमायी की वजह से नमाज़े जनाज़ा या तद्फ़ीन वगैरा में ताखीर ना हो।

(انظر: فتاوی یورپ، ص218،219)

(तेरहवाँ हवाला)

फतावा जमातिया में सवाल है:
क्या मर्द अपनी बीवी को उस के फौत होने के बाद गुस्ल दे सकता है और इस को उस के लिये देखना जाइज़ है या नही?

जवाब:
मर्द के लिये अपनी बीवी को गुस्ल देना जाइज़ नही है। हाँ उस को देखनो मना नही है और अगर मर्द मर जाये तो औरत के लिये जाइज़ है कि उस को गुस्ल दे। इसीलिये कि जब बीवी फौत हो गयी तो निकाह बाक़ी नही रहा अब मर्द उस के लिये अजनबी है और अजनबी मर्द के लिये जाइज़ नही कि वो औरत को गुस्ल दे इसीलिये कि मर्द के फौत होने से निकाह फ़ासिद नही होता बल्कि अलहाल होता है। इसीलिये तो चार माह दस दीन इद्दते वफ़ात है।

(مراقی الفلاح)

والله ورسوله اعلم بالصواب

(تیه، مرتبه علامه مفتی غلام رسول، ص0122 فتاوی جماع)

(चौदहवाँ हवाला)

फतावा जमातिया में ही एक सवाल और है :

क्या फरमाते हैं उलमा -ए- दीन दर्ज जेल मसाइल में कि औरत मर जाये तो उस का खाविंद उस को देख सकता है या नही?

जवाब :
सूरते मस'ऊला में अगर औरत फौत हो गयी है तो मर्द उस का मुँह देख सकता है।

फतावा शामी में है :
अगर औरत फौत हो गयी तो मर्द उस को ना छू सकता है और ना ही उस को गुस्ल दे सकता है। अलबत्ता उस का मुँह देख सकता है और जो लोगो में मशहूर है कि मर्द ना औरत के जनाज़े को कांधा दे सकता है और ना ही क़ब्र में उतार सकता है और ना मुँह देख सकता है ये गलत है।
सिर्फ़ गुस्ल देने और उस के बदन को बिला हायिल हाथ लगाने की मुमानिअत हैं। चेहरा देखने की मुमानिअत नही है लिहाज़ा अगर औरत फौत हो जाये तो उस का मर्द मुँह देख सकता है।

والله ورسولہٗ اعلم بالصواب

(فتاوی جماعتیہ، ص212،213)

पन्द्रहवां हवाला

अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद हबीबुल्लाह नईमी अशरफ़ी अलैहिर्रहमा से सवाल किया गया कि क्या फरमाते हैं उलमा -ए- दीन इस मस'अले

में कि लड़की जिस की उम्र पाँच साल के क़रीब थी इन्तिक़ाल कर गयी उस को वालिद गुस्ल दे सकता है या नहीं?

आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह फरमाते हैं कि सवाल में लड़की की उम्र पाँच साल लिखी गयी है, ज़ाहिर है कि पाँच साल की लड़की मुश्तहात (शहवत वाली) नहीं हो सकती।
और जो लड़की मुश्तहात ना हो हो उस को हर अजनबी और क़रीब नीज़ औरत और मर्द बगैर मज़बूरी के गुस्ल दे सकता है। ये ज़रूरी नही कि उस को उस का बाप गुस्ल दे या औरत ही गुस्ल दे। फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल मिस्री सफ़ह 149 में है :

فان كان الميت صغيرا لا يشتهي جازان تغله النساء وكذ اذا
كانت صغيرة لا تشتهي جاز للرجال غسلها

अगर छोटा बच्चा (शहवत की उम्र को ना पहुँचा हो) तो औरत गुस्ल दे सकती है। इसी तरह कमसिन बच्ची जो मुश्तहात ना हो तो उसे मर्द गुस्ल दे सकता है।

واللہ تعالیٰ اعلم۔

(حبیبِ الفتاوی، ص537)

सोलहवां हवाला

हबीबुल फतावा में एक और सवाल मज़्कूर है कि क्या फरमाते हैं उलमा -ए- दीन व मुफ्तियाने शरअ मतीन इस मस'अले ज़ेल के बारे

में कि लड़की जिस की उम्र दस साल की है उसको मर्द ने गुस्ले मय्यित दिया है ये दुरुस्त है या नही? और अगर जाइज़ नही है तो गुस्ले मय्यित देने वाला अज़ रूए शरीअत गुनाहगार है या नही? जवाब मा हवाला कुतुब मर्हामत फरमा कर मश्कूर फरमायें।

अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद हबीबुल्लाह नईमी अशरफ़ी अलैहिर्रहमा जवाब में लिखते हैं:
शरअन दस साल की लड़की मुश्तहात (शहवत वाली) बल्कि बालिग भी हो सकती है और गैर मुश्तहात (बे शहवत वाली) भी हो सकती है लिहाज़ा जिस लड़की का मुत्लक़ सवाल किया गया है मुश्तहात थी तो मर्द का गुस्ल देना नाजाइज़ हुआ और गुस्ल देने वाला मर्द मुर्तकिबे अदमे जवाज़ व गुनाहगार हुआ और अगर वो लड़की गैर मुश्तहात थी तो मर्द का गुस्ल देना जाइज़ दुरुस्त हुआ वो गुनाहगार भी ना हुआ, मुश्तहात और गैर मुश्तहात का पता चलना मक़ामी और घर के लोगों का काम है। कोई अजनबी कैसे बता सकता है कि यक़ीनन वो मुश्तहात थी या गैर मुश्तहात? बिल खुसूस वो औरतें जिन से उस लड़की का ज़्यादा ताल्लुक़ रहा हो बता सकती हैं।

फ़तावा आलामगीरी जिल्द अव्वल, सफ़ह 149 में है :

فان كان الميت صغيرا لا يشتهي جازان تغله النساء وكذ اذا
كانت صغيرة لا تشتهي جاز للرجال غسلها
والله تعالى اعلم

(حبیب الفتاوی، ص577)

सत्रहवां हवाला

हबीबुल फ़तावा में एक और जगह सवाल मज़कूर है कि क्या फरमाते हैं उलमा ए दीन व मुफ्तियाने शरअ मतीन इस मस'अले के बारे में कि इंतिक़ाल के बाद औरत अपने शौहर को देख सकती है या नहीं? या मर्द अपनी बीवी को देख सकता है या नहीं, बवक़्ते मजबूरी औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है या नहीं या मर्द अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है या नहीं? बा हवाला किताब जवाब मर्हमत फरमाए

जवाब में है :

शौहर और बीवी में किसी का इंतिक़ाल हो जाये, बादे इंतिक़ाल शौहर अपनी बीवी को देख सकता है और बीवी भी शौहर को देख सकती है। बाहम हर एक का दूसरे को बादे इंतिक़ाल देखना जाइज़ वा मुबाह है। बीवी शौहर को मजबूरी और ग़ैरे मजबूरी हर हाल में गुस्ल दे सकती है, बशर्ते कि इद्दत में हो।

लेकिन शौहर बीवी को मुत्लक़न किसी हाल में गुस्ल नहीं दे सकता और बा शक्ले मजबूरी जब कोई गुस्ल देने वाली औरत ना मिले तो शौहर बजाये गुस्ल बीवी को तयम्मुम करा दे।

दुर्रे मुख्तार मिस्री जिल्द अव्वल सफ्हा 633 में है:

ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر اليها على الاصح (منية) (وهي لا تمنع من ذالک) ملخصا

शौहर को मुतवफ्फिया बीवी को गुस्ल देने और छूने से रोका जायेगा अलबत्ता देखने से मना नही किया जायेगा। सहीह मज़्हब यही है कि औरत को इन बातों से मना नहीं किया जायेगा।
रद्दुल मुहतार में है :

وفي البدائع المرأة تغسل زوجها لان اباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح
والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة بخلاف ما اذا ماتت فلا يغسل لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار اجنبيا

अल बदा में है औरत अपने शौहर को ग़ुस्ल से सकती है क्योंकि ग़ुस्ल का जवाज़ निकाह से मुस्तफ़ाद हुआ है। लिहाज़ा जब तक निकाह बाक़ी है, ये जवाज़ भी बाक़ी रहेगा और निकाह मौत के बाद इद्दत तक बाक़ी रहता है। इस के बर ख़िलाफ़ अगर बीवी मर गयी तो शौहर ग़ुस्ल नहीं देगा क्योंकि अब मिल्के निकाह बाक़ी नहीं रहा क्योंकि अब महले निकाह ही मौजूद नहीं लिहाज़ा मर्द अजनबी होगा।
तहतावी अलल मराक़ी अल फलाह मिस्री 245 में है :

واذا لم توجد امراة لتغسيلها يممها وليس عليه غض بصره عن ذراعيها بخلاف الاجنبى

अगर औरत के ग़ुस्ल के लिये औरत मौजूद नहीं तो शौहर उसे तयम्मुम करा दे। निगाहें नीची करना उस पर ज़रूरी नहीं। अलबत्ता अजनबी अगर तयम्मुम कराये तो ना देखे।

والله تعالیٰ اعلم۔

(حبیب الفتاوی، ص538)

(अठारहवां हवाला)

एक और सवाल किया गया कि क्या फरमाते हैं उलमा -ए- दीन व मुफ्तियाने शरअ मतीन इस मसअले में कि औरत के मर जाने के बाद उस का शौहर उस को देखे, ना ग़ुस्ल दे, ना कफनाये, ना उस के जनाज़े को हाथ लगाये, ना छूये, ना कंधा लगाये, ना क़ब्र में उस को उतारे, मर जाने के बाद शौहर का कोई हक नहीं रहता है। इस के बारे में शरीअत का क्या हुक्म है? मा'अ हवाला ए हदीस शरीफ हो।
हनफी मज़हब के मुखालिफ़ीन ने बताया है कि फुलां सहाबा ने अपनी बीवी को ग़ुस्ल दिया है। हदीसो में आया है?

जवाब :
बीवी के इंतिक़ाल के बाद शौहर से रिश्ता ए निकाह मुनकता' हो जाता है और दोनों में मुगय्यिरत व अजनबिय्यत हो जाती है लिहाज़ा बग़ैर ज़रूरत शौहर ना तो बीवी को ग़ुस्ल दे और ना उस को छूये और बीवी के चेहरे को देखने की और जनाजे में कांधा देने की शरअन मुमानिअत नहीं। यही हदीसे पाक से माखूज़ है और अजिल्ला सहाबा किरम का अमल इसी पर रहा है और ये जो बाज़ लोगों से मंकूल है कि हज़रत अली ने खातूने जन्नत फ़ातिमा ज़हरा को ग़ुस्ल दिया इस में रिवायतों

का इख्तिलाफ़ है चूंकि दूसरी रिवायत में ये भी आया है कि हज़रत खातूने जन्नत को उम्मे ऐमन ने ग़ुस्ल दिया। बर तक़रीर तस्लीम ये उन के खुसूसियत पर महमूल है।

मराक़ियल फलाह मिस्री, सफ़हा 345 में है :
औरत अपने शौहर को ग़ुस्ल दे सकती है बखिलाफ मर्द के कि वो अपनी बीवी को ग़ुस्ल नहीं दे सकता।

तहतावी में है:
(उन का क़ौल के शौहर अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता) इसी तरह ना उसे छू सकता है लेकिन उस की तरफ देखने की मुमानिअत नहीं, सहीह तरीन मजहब यही है। (उन का कौल निकाह के टूट जाने के सबब से है) क्योंकि अब निकाह का महल ही नहीं रहा। लिहाज़ा शौहर अब अजनबी हो गया।

इस सिलसिले में तीनों इमामों का क़ौल जवाज़ का है। इस की दलील ये है कि हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को ग़ुस्ल दिया ।
हम कहते हैं के एक रिवायत ये भी है कि उन को उम्मे ऐमन ने ग़ुस्ल दिया था । और ये साबित भी हो जाये कि हज़रत अली ने उन को ग़ुस्ल दिया तो इस से उन दोनों के माबैन रिश्ता ए जौज़ियत के बाक़ी रहने पर माहमूल किया जायेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया : "फातिमा तुम्हारी शरीके हयात हैं दुनिया में भी आखिरत में भी। तो ये दावा ए खुसूसिअत इस बात पर दलील है के यही मशहूर था के मर्द बीवी को ग़ुस्ल ना दे।

ख़ुलासा ये है कि बीवी के इंतिक़ाल के बाद शौहर बीवी को बग़ैर ज़रूरत ना ग़ुस्ल दे और ना उस को हाथ लगाये मगर बीवी का चेहरा देख सकता है।

والله تعالیٰ أعلم

(حبیب الفتاوی، ص540,539)

(उन्नीसवां हवाला)

एक और सवाल किया गया कि ये बात मशहूर हो गई है कि मर्द अपनी औरत का चेहरा नहीं देख सकता और ना मय्यित को कांधा लगाए और ना मिट्टी क़ब्र पर डाले मर्द कहता है कि जब में गैर हो गया तो मै मैय्यत का खर्चा क्यों उठाऊँ?

जवाब :
मर्द अपनी बीवी फौत शुदा को देख सकता है। जनाजा़ में कांधा भी लगा सकता है और क़ब्र में मिट्टी भी दाल सकता है। शरअन इन उमुर की इजाज़त है, कोई हर्ज नहीं है। जो बात मशहूर हो चुकी है और सवाल में नक़ल की गई है ग़लत है ।

अलबत्ता बगैर ज़रूरते शरअ बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता अगर ज़रूरत के वक़्त ग़ुस्ल भी दे तो हाथ पर कपड़ा लपेट ले। क्या बीवी की खिदमत का और हुक़ूके म जौजियत के अदा करने का इतना भी लिहाज़ ना रखा जाये कि मरने के बाद उस के लिए तदफीन वग़ैरह के

सारे मसारिफ शौहर अदा करे। मर्द की मर्दानगी के तकाज़े के ख़िलाफ़ है कि वो अपनी बीवी के लिये मरने के बाद इतना भी ना करे।

(حبیب الفتوی، ص540)

(बीसवां हवाला)

एक और सवाल यूँ किया गया कि ज़ैद की बीवी का इन्तिक़ाल हो गया और ज़ैद ने अपनी बीवी के जनाज़े को काँधा लगाना चाहा तो उस को लोगों ने मना कर दिया कि बीवी के मरने के बाद शौहर को उस की सूरत देखना उस के जनाज़े को काँधा लगाना जाइज़ नहीं, ज़ैद ने ये सुन कर जनाज़े को काँधा नहीं लगाया। अवाम में जो इस तरह की बात मशहूर है क्या ये बात हदीस से साबित है, मेहरबानी फरमा कर इस मसअले का हल फ़रमा दें?

जवाब में लिखते हैं :
शौहर बीवी की मौत के बाद शरअन उस का चेहरा देख सकता हैं, जिन लोगों ने उसे नाजायज़ बताया गलती पर हैं।
हाँ शौहर बीवी को ग़ुस्ल ना दे और ना उस के जिस्म को बग़ैर ज़रूरत छुये।
तहतावी अलल मराकिल फ़लाह मिसरी सफ़हा 345 में है :

قوله فانه لا يغسل زوجته وكذ الا يمسها ولا يمنع من النظر اليها في لا صح (تنوير)

उन का क़ौल है मर्द अपनी बीवी को नहीं देख सकता इसी तरह छू भी नहीं सकता सही मज़हब ये है के देखने से मना नहीं किया जायेगा।

(حبیب الفاتوی، ص 541)

(इक्कीसवां हवाला)

इसी में एक सवाल यूँ किया गया कि क्या फरमाते हैं उलमा -ए- दीन व मुफ्तियाने शरअ मतीन इस मस'अले में कि ज़ैद के मर जाने पर उन की बीवी कफन देते वक़्त देखना चाहती है। एक मौलवी साहब ये कहते हुये रोक देते हैं कि मय्यित को देखना हराम है, वो कहते हैं कि ये बात हदीस से साबित है?

जवाब में लिखते हैं :

बीवी व शौहर में से हर एक दूसरे के मरने के बाद उस की मय्यित को देख सकते हैं, देखने की मुमानिअत शरअन नहीं, हाँ फर्क़ बदन के छूने और गुस्ल देने में है। बीवी शौहर के मरने के बाद उस के बदन को छू भी सकती है और गुस्ल भी दे सकती है, और शौहर बीवी के मरने के बाद उस के बदन को छू नहीं सकता, ना गुस्ल दे सकता है, ज़ैद के इन्तिक़ाल के बाद कफन देते वक़्त उस के देखने से बीवी को रोकना सहीह नहीं। जिस मौलवी साहब ने रोका गलत किया और हराम बता कर गुनाह के मुर्तकिब हुये।

सरकारे दो आलम सल्लल्लाहू त'आला अलैही वसल्लम का फ़रमान है कि :

اجرأکم علی الفتیا اجرأکم علی النار

गलत फ़तावा बताने पर ज़्यादा जो जुरा'अत करने वाला होगा, मौलवी साहब हदीस से बे खबर हैं।

मराक़िल फलाह मिसरी सफ़ह 345 में है :

والمراۃ تغسل زوجہا بخلافہ ای الرجل فانہ لا یغسل زوجتہ لانقطاع النکاح (ملخصا)

औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है, ब खिलाफे मर्द के कि ये औरत को गुस्ल नहीं दे सकता क्योंकि अब निकाह बाक़ी नहीं रहा।

तहतावी अलल मराक़िल फ़लाह में है:

المرأۃ تغسل زوجہا لحل مسہ والنظر الیہ ببقاء العدۃ

औरत शौहर को गुस्ल दे सकती है क्योंकि उस के लिये उस का छूना भी हलाल है और इसे देख भी सकती है क्योंकि बहरे हाल इद्दत बाक़ी है।

इसी में है :

रिवायत है कि हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रदिअल्लाहो त'आला अन्हु ने अपनी बीवी असमा बिन्ते उमैस रदिअल्लाहो त'आला अन्हा को वसीयत की कि जब उनकी मौत हो जाये तो वो गुस्ल दें, ऐसे ही अशहरी रदिअल्लाहो अन्हु ने किया। उस की वजह भी है कि गुस्ल देने

का जवाज़ निकाह से हासिल हुआ है, लिहाज़ा जब तक निकाह है, गुस्ल का जवाज़ भी बाक़ी रहेगा।
और निकाह मौत के बाद भी उस वक़्त तक बाक़ी रहता है, जब तक इद्दत ना गुज़र जाये।

इसी में है:

قوله (فانه لايغسل زوجته) وكذالا يمسها ولا يمنع من النظر اليها في الاصح (تنوير)

उन का क़ौल है मर्द अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता इसी तरह छू भी नहीं सकता सहीह मज़हब ये है कि देखने से मना नहीं किया जायेगा।

मौलवी साहब इन रिवायत को पढ़ें और अपनी जहालत पर मातम करें।

(حبیب الفتوی، ص542)

(बाईसवां हवाला)

एक और सवाल यूँ किया गया कि क्या ये सही है कि हज़रते अली रदिअल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बीवी हज़रते खातूने जन्नत फ़ातिमा ज़हरा के इन्तिक़ाल के बाद उन को गुस्ल दिया था?

जवाब में लिखते हैं :

हज़रते खातूने जन्नत फ़ातिमा ज़हरा के गुस्ल के बारे में रिवायतों का इख्तिलाफ है कि हज़रते मौला अली करमल्लाहु तआला वजहहुल करीम ने गुस्ल दिया था या हज़रते उम्मे ऐमन ने। बर तकदीर अव्वल दो हदीसों से ये हुक्मे खास है आम नहीं। चूंकि इन हजरात का निकाह बाद मौत भी बल्कि दुनिया वा आखिरत में बाक़ी है और रहेगा।

तहतावी में है :

وروی انہا غسلتہا ام ایمن....الخ

(حبیب الفتوی، ص542)

जनाबे गज़ल साहिबा

हिंदी ज़ुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल :

बहारे तहरीर (अब तक 13 हिस्सों में)
ये 13वां है।
अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा?
अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना
इश्के मजाज़ी - मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ
गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो!
शबे मेराज गौसे पाक
शबे मेराज नालैन अर्श पर
हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया
डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत
ग़ैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल
चंद वाकियाते कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा
बिंते हव्वा
सेक्स नॉलेज
हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहक़ीक़
औरत का जनाज़ा
एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौज़ी की ज़ुबानी
40 अहादीसे शफा'अत
हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से

ABOUT US

Abde Mustafa Official Is A Team From **Ahle Sunnat Wa Jama'at** Working **Since 2014** On The Aim To Propagate **Quraan And Sunnah** Through Electronic And Print Media.

We are :

Writing articles, composing & publishing books, running a special **matrimonial service** for Ahle Sunnat

Visit our official website

www.abdemustafa.in

Books Library

books.abdemustafa.in

about 100+ tehqeeqi pamphlets & books are available in multiple languages.

E Nikah Matrimony

www.enikah.in

there is also a channel on Telegram
t.me/Enikah (Search "E Nikah Service" on Telegram)

Find us on Social Media Networks :

Subscribe us on YouTube @abdemustafaofficial
like and follow us on Facebook & Instagram @abdemustafaofficial
Join our official Telegram Channel t.me/abdemustafaofficial
Books Library on Telegram t.me/abdemustafalibrary
or search "Abde Mustafa Official" on Google
for more details WhatsApp on **+919102520764**

AMO
Abde Mustafa Official